

21.8.25 पशवली पेशी में ली गई। तहजील
पशोक PR/2969 दिनांक 8/8/25 द्वारा विभाजन
पुस्तक तालुका हुआ जिस पर उभयपक्ष का
सुना गया। वादपक्ष में किसी पक्ष अपि
आपत्ति नहीं की। वादपक्ष मुताबिक
विभाजन पुस्तक डिल्ली किया जाता है
फर्चा डिल्ली जारी हो। पशवली नंबर
से कम की जाकर काबिल करपा
की जाती है आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़